जवाहर नवोदय विद्यालय–2, हरधौरापुर
महोली, सीतापुर (उ.प्र.) – 261141
निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते 2017–18

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या ....

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू–200/–
विक्रय तिथि :

सन्दर्भ –

सेवा में,

....
....
....

विषय : जवाहर नवोदय विद्यालय –2, सीतापुर हेतु 2017–18 के लिए ....सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा ।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में नवोदय विद्यालय समिति, लखनऊ संभाग के **जवाहर नवोदय विद्यालय –2, ग्राम–हरधौरापुर, पोस्ट– बम्भौरा, तहसील– महोली, सीतापुर (उ.प्र.)** हेतु मुहरबन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा बिक्री दिनांक 14.02.18 से 22.02.18 तक होगी। निर्धारित निविदा पत्र पर विधिवत् भरी हुई निविदा धरोहर राशि एवं निविदा मूल्य (जैसा लागू हो) के बैंक ड्राफ्ट या ज.न.वि.–2, सीतापुर खाता सं. (SBI) 34978696321, IFSC- SBIN0008315 में धनराशि NEFT/Internet Banking के माध्यम से निविदा पहुँचने की अन्तिम तिथि तक अवश्य जमाकर उसकी उचित रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर पंजीकृत सील मोहर के साथ मोहरबन्द लिफाफे में **प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय –2, ग्राम–हरधौरापुर, पोस्ट– बम्भौरा, तहसील– महोली, सीतापुर (उ.प्र.) 261141** को पंजीकृत डाक या विद्यालय में रखी निविदा पेटिका (में डालकर) के द्वारा दिनांक 26.02.18 कार्यालय तक पहुँचने पर स्वीकार की जायेगी। लिफाफे के ऊपर बॉयी ओर सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तावित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। दिनांक 26.02.18 तक विद्यालय में प्राप्त हुई निविदाओं को दिनांक 27.02.18 को पूर्वा. 11:00 बजे विद्यालय क्रय परामर्श दात्री उपसमिति द्वारा **स्थान– सिटी मजिस्ट्रेट, कार्यालय, सीतापुर** में खोलकर निर्णय लिया जायेगा।

2. निविदायें निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तो की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए।

3. निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे जीएसटी/वैट/बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए। तथा एफ.ओ.आर. **ग्राम–हरधौरापुर, पोस्ट– बम्भौरा, तहसील– महोली, सीतापुर (उ.प्र.)** होना चाहिए। परन्तु किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नही होना चाहिए।
4. निविदा फार्म में अंकित वस्तु व उनके मूल्यों में कोई काट छाट नही होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
5. अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है एवं वह न्यूनतम दर वाले निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नही है। वह किसी भी निविदा को बिना उसका कारण बताये निरस्त कर सकता है। निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रख कर की जायेगी।
6. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
7 निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित सम्बन्धित निविदानुसार रू– ....बयाना राशि (Ernest Money) के रूप में बैंक ड्राफ्ट या उपरोक्त वर्णित तरीके द्वारा संलग्न करनी होगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट **जवाहर नवोदय विद्यालय–2 सीतापुर,** के नाम एवं **सीतापुर को देय** होना चाहिए। जिन निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नही होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा स्वीकृत होने की तारीख के एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी। किसी भी दशा में बयाना राशि के बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा। सरकारी संस्थाएं निविदा हेतु आवेदन करना चाहती है तो वह बयाना राशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगें परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से बयाना राशि जमा न किए जाने की छूट प्राप्त नही होगी। इसके लिए विद्यालय क्रय समिति स्वयं निर्णय लेगी जो निविदादाता पर लागू होगा।
8 जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि स्वतः प्रस्तावित आपूर्ति हेतु धरोहर राशि (Security Deposit) में समायोजित कर दी जायेगी तथा सामान्य परिस्थितियों में मूल रकम निविदा पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी।

9 निविदादाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोत से पूर्ण कर लें तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाएगी।

10 **निविदा फार्म में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है** जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यकतानुसार बिना कारण बताए घटाया व बढ़ाया जा सकता है।

11 निविदा फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदा के साथ अथवा निविदा खोलने के समय जैसा निर्देशित किया गया है प्रस्तुत करेंगें। अधोहस्ताक्षरी को निविदा स्वीकृत के बाद भी वस्तुओं का नमूना मॉगने का अधिकार होगा तथा निविदा दाता का दायित्व होगा कि वह नमूना प्रस्तुत करें तथा किसी सामान के मशीन होने की स्थिति में उसको चलाकर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

12 वस्तु की आपूर्ति की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अन्य प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नही है अथवा निर्धारित निर्दिष्टकरण के अनुसार नही है तो आपूर्ति हुई सामग्री को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदला जायेगा। अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

13 निविदा पत्र उन्ही फर्मो/कम्पनियों के स्वीकार लिए जाएगें जो उस वस्तु सामान/मशीन इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका बिक्रीकर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो।

14 निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नही कर सकता।

15 फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट व्यय यदि कोई होता है तो वह फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

16 विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।

17 अगर निविदा फर्नीचर आपूर्ति के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर धातु की प्लेट लगायेगें जिस पर फर्म का नाम तथा आपूर्ति का वर्ष अंकित होगा।

18 निविदा की दरें दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होगी।

19 निविदादाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदादाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेंगे परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी और उपहार में दी गयी वस्तु की कीमत की मॉग नही करेंगे।

20 सभी विवादों का न्याय जिला सीतापुर होगा।

21 भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती आपूर्तिकर्ता के बिल से की जायेगी और आयकर विभाग को भेज दी जायेगी।

22 आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।

23 निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

अ. आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर प्रमाण पत्र।

ब. निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।

स. अन्य उपकरण, फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ मूल पत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।

द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।

य. जहॉ लागू हो टिन (जीएसटी/वैट/बिक्री कर रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र की प्राति।

24. निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्ते हमें मान्य है ।

25. कार्य पूर्ण होने (न कि आंशिक स्तर) पर ही भुगतान किया जायेगा ।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर
नाम –

दिनांक :

स्थान :

मुहर